# उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972

## (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 27 जुलाई, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 2 अगस्त, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 11 अगस्त, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 अगस्त, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट, 1910 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 4, 1910 की धारा 21 का संशोधन

2—यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट, 1910, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 21 में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड का खण्ड (3) निकाल दिया जाय ।

नई धारा 24-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"24-क—(1) धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में (लाइसेन्स प्राप्त भू-गृहादि में और उसके बाहर उपभोग के लिये, अथवा केवल लाइसेन्स प्राप्त भू-गृहादि के बाहर उपयोग के लिए) दुकानों पर फुटकर बिक्री द्वारा कोई विदेशी शराब बेचने के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेन्स अथवा लाइसेन्सों को स्वीकृत कर सकता है ।

विदेशी शराब के संबंध में बिक्री करने का एकान्तिक विशेषाधिकार देना

(2) किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई लाइसेन्स या लाइसेन्सों के स्वीकृत किये जाने से उसी क्षेत्र में, होटलों और रेस्ट्रां में उनके ही भू-गृहादि में उपभोग के लिये विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के निमित्त लाइसेन्स के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) जहां उसी अवधि के लिए किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा (1) के अधीन एक से अधिक लाइसेन्स स्वीकृत करने का प्रस्ताव हो तो प्रत्येक ऐसे लाइसेन्स के लिए भावी प्रार्थियों को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना दी जायेगी ।

(4) इस धारा के अधीन एकान्तिक विशेषाधिकार के निमित्त लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के संबंध में धारा 25 और 30 तथा धारा 39 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 24 के अधीन एकान्तिक विशेषाधिकार के निमित्त कोई लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के संबंध में लागू होते हैं ।"

धारा 40 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (3) निकाल दी जाय ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13, 1972 का निरसन

5—उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, 1972, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

---

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 27 जुलाई, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 168 जनरल (लेग०) (हि०)—1972—1,834+50 S.S. (मे०) ।

# THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 1972

(U. P. Act No. 30 of 1972)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Excise (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972]

AN

ACT

*further to amend the United Provinces Excise Act, 1910*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1972.

Amendment of section 21 of U. P. Act IV of 1910.

2. In section 21 of the United Provinces Excise Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act, clause (3) of the proviso thereto be *omitted*.

Insertion of new section 24-A.

3. *After* section 24 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Grant of exclusive privilege of sale in respect of foreign liquor.

"24-A. (1) Subject to the provisions of section 31, the Excise Commissioner may grant to any person a licence or licences for the exclusive privilege of selling by retail at shops (for consumption both on and off the licensed premises, or for consumption off the licensed premises only) any foreign liquor in any locality.

(2) The grant of licence or licences under sub-section (1) in relation to any locality shall be without prejudice to the grant of licences for the retail sale of foreign liquor in the same locality in hotels and restaurants for consumption on their premises.

(3) Where more licences than one are proposed to be granted under sub-section (1) in relation to any locality over the same period, advance intimation of the proposal shall be given to the prospective applicants for every such licence.

(4) The provisions of sections 25 and 30 and the proviso to section 39 shall apply in relation to the grant of a licence for an exclusive privilege under this section as they apply in respect of the grant of a licence for an exclusive privilege under section 24."

Amendment of section 40.

4. In section 40 of the principal Act, sub-section (3) shall be *omitted*.

Repeal of U. P. Ordinance No. 13 of 1972.

5. The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 1972, is hereby repealed.

---

[*For Statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated July 27, 1972].

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 27, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 2, 1972).

(Received the Assent of the Governor on August 11, 1972 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary, dated* August 16, 1972).

PSUP—A. P. 169 Genl. (Leg.) 1972—1,852+50S.S. (M.)